रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2043] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2018/ज्येष्ठ 14, 1940
No. 2043] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2018/JYAISTHA 14, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का. आ. 2261(अ).—यतः, मै. विकास टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड जो कि कर्नाटक राज्य में एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य आउटर रिंग रोड, देबाराबीसनहल्ली गाँव, वरतुर हुबली, बेंगलुरु पूर्वी तालूक, बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 8 सितम्बर 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1465(अ), दिनांक 28 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 781(अ) एवं 12 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 762(अ) द्वारा उपर्युक्त वि ोश आर्थिक जोन में 36.85 हेक्टेयर, 1.31 हेक्टेयर एवं 0.68 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. विकास टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 11.53 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र सं. सीआई 98 एसपीआई 2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण–प्रत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 11.53 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 11.53 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 27.31 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	8/1	0.69
2.	8/2	0.51
3.	9/2	0.55
4.	9/3	0.14
5.	10/5	0.20
6.	10/6	0.20
7.	10/7	0.38
8.	10/9	0.34
9.	11/4	0.21
10.	11/5	0.32
11.	11/6	0.67
12.	11/7	0.49
13.	12/1	0.11
14.	12/2	0.11
15.	12/4	0.17
16.	12/5	0.08
17.	12/6	0.16
18.	12/7	0.12
19.	12/8	0.10
20.	12/9	0.08
21.	12/10	0.07
22.	14/3	0.50
23.	14/4	0.59
24.	14/5	0.34
25.	14/6	1.04
26.	14/7	0.73
27.	14/8	0.71
28.	14/9	0.17
29.	14/11(पी)	0.37
30.	14/13	0.45
31.	14/14	0.18

32.	14/15	0.49
33.	11/8	0.03
34.	13(पी)	0.23
	कुल	**11.53**
	उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	**27.31**

[फा. सं. एफ. 2/33/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

S.O. 2261(E).—Whereas, M/s. Vikas Telecom Private Limited, a private organization in the state of Karnataka, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Outer Ring Road, Devarabeesanhalli Village, Varthur Hobli, Bengaluru East Taluk, Bengaluru in the State of Karnataka;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified areas of 36.85 hectares, 1.31 hectares and 0.68 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 1465(E) dated 8th September, 2006, S.O. No. 781 (E) dated 28th March, 2008 and S.O. 762(E) dated 12th March, 2015 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Vikas Telecom Private Limited has now proposed for de-notification of 11.53 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 98 SPI 2018 dated 24.04.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 11.53 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 11.53 hectares**, thereby making resultant area as **27.31 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Survey No.	Total area in Hectares
1.	8/1	0.69
2.	8/2	0.51
3.	9/2	0.55
4.	9/3	0.14
5.	10/5	0.20
6.	10/6	0.20
7.	10/7	0.38
8.	10/9	0.34
9.	11/4	0.21

10.	11/5	0.32
11.	11/6	0.67
12.	11/7	0.49
13.	12/1	0.11
14.	12/2	0.11
15.	12/4	0.17
16.	12/5	0.08
17.	12/6	0.16
18.	12/7	0.12
19.	12/8	0.10
20.	12/9	0.08
21.	12/10	0.07
22.	14/3	0.50
23.	14/4	0.59
24.	14/5	0.34
25.	14/6	1.04
26.	14/7	0.73
27.	14/8	0.71
28.	14/9	0.17
29.	14/11(P)	0.37
30.	14/13	0.45
31.	14/14	0.18
32.	14/15	0.49
33.	11/8	0.03
34.	13(P)	0.23
	Total	**11.53**
	Grand total area of SEZ after above deletion	**27.31**

[F. No. F.2/33/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.07 09:36:45 +05'30'